रजिस्ट्री सं. डी. (डी एन)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 110] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 18, 1990/वैशाख 28, 1912
No. 110] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 18, 1990/VAISAKHA 28, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 13-आई टी सी (पी एन)/90-93

नई दिल्ली, 18 मई, 1990

विषय :—अप्रैल 1990–मार्च 1993 के लिए आयात-निर्यात नीति।

फाईल सं. आई पी सी / 3 / 5/85:— वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 1 आई टी सी (पी एन)/90–93 दिनांक 30 मार्च, 1990 के अन्तर्गत प्रकाशित अप्रैल 1990–मार्च 1993 हेतु यथासंशोधित आयात एवं निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. नीति से निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उचित स्थानों पर किए जाएगे :—

क्रम सं.	आयात–निर्यात नीति 1990—93 (खण्ड –1) की पृष्ठ सं.	सन्दर्भ	संशोधन
1	2	3	4
(1)	23 पैरा –65	अध्याय–5 पैरा –65 उप पैरा (2)	दूसरी पंक्ति में शब्द "12 माह" के स्थान पर "18 माह" रखा जाएगा।

1	2	3	4
(2)	24	अध्याय–5 पैरा––67	मौजूदा पैरा 67 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा :– "67(1) प्रतिबन्धित सूची में उल्लिखित मदों का आयात (कच्चे माल और अन्तवर्ती मदों जो रसायन औषधि तथा औषध निर्माण क्षेत्रों द्वारा अपेक्षित हैं रंगीन टी वी पिक्चर, ट्यूबों, तथा अन्य ऐसी अन्य मदें जो मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं को छोड़कर) और सीमित अनुमेय सूची की मदें जिनके साथ वे मदें भी शामिल हैं जो खुले सामान्य लाईसेंस और सरणीबद्ध सूचियों से चालू आयात नीति में सीमित अनुमेय सूची में शिफ्ट की गई हैं, के आयात आटोमैटिक लाईसेंसिंग स्कीम के अन्तर्गत किया जा सकता है। (2) जो मदें चालू आयात नीति में सीमित अनुमेय सूची में शिफ्ट कर दी गई हैं उनके सम्बन्ध में आटोमैटिक लाईसेंस का मूल्य और मात्रा (1) पूर्ववर्ती लाईसेंसिंग वर्ष के लिए प्राप्त किए गए सम्पूरक लाईसेंस (2) खुले सामान्य लाईसेंस के अन्तर्गत किए गए वास्तविक आयातों और (3) पूर्ववर्ती लाईसेंसिंग वर्ष के दौरान सरणीबद्ध एजेंसी द्वारा संभरित सरणीबद्ध मदों (आयातित सामग्री के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इस प्रकार से मंजूर किए गए आटोमैटिक लाईसेंस की प्रत्येक मद के सामने दी गई मात्रा सीमा होगी और ऐसी मदों का आयात आटोमैटिक लाईसेंस के समग्र मूल्य के अन्तर्गत किया जा सकता है। देशजीकरण के चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम की शर्त के अधीन यूनिटों के मामले में वास्तविक उपयोक्ता इस बात का घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा कि आटोमैटिक लाईसेंस के मद्दे मदों का आयात अनुमोदित चरण-बद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के अनुसार होगा। (3) आटोमैटिक लाईसेंसिंग की सुविधा पिछले लाईसेंसिंग वर्ष के लिए सम्पूरक लाईसेंस में शामिल परन्तु चालू आयात नीति में खुले सामान्य लाईसेंस की सूची में शिफ्ट की गयी मदों के मामले में लागू नहीं है और ऐसी मदों के मूल्य मात्रा को उपर्युक्त पैरा (2) की शर्तों के अनुसार आटोमैटिक लाईसेंस के मूल्य और मात्रा को निश्चित करते समय निकाल दिया जाएगा। आटोमैटिक लाईसेंसिंग की सुविधा प्रतिबन्धित अतिरिक्त पुर्जों तथा बिक्री उपरान्त सेवा और वारन्टी कवरेज के लिए अतिरिक्त पुर्जों के आयात के लिए जारी किए गए लाईसेंसों के मामले में भी लागू नहीं है। आटोमैटिक लाईसेंसों की स्वीकृति के लिए प्रक्रियात्मक ब्यौरे प्रतिक्रिया पुस्तक 1990–93 (खण्ड–1) के अध्याय 5 में दिये गये हैं।

3. वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं.–2 आई टी सी (पी एन)/90–93 दिनांक 30 मार्च, 1990 के अन्तर्गत प्रकाशित अप्रैल 1990—मार्च 1993 के लिए यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है।

4. प्रक्रिया पुस्तक में नीचे उल्लिखित संशोधन नीचे संकेतिक उचित स्थानों पर किये जाएंगे :—

क्रम	प्रक्रिया पुस्तक 1990—93 (खण्ड–1) की पृष्ठ सं.	सन्दर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1	39-40	अध्याय 5 पैराग्राफ 224	वर्तमान पैराग्राफ 224 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :— "224(1) आयात–निर्यात नीति, 1990–93, (खण्ड–1) के पैराग्राफ 67 के उपबंधों के अनुसार आटोमैटिक लाईसेंस की स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र उस संबंधित लाईसेंसिंग प्राधिकारी को दिये जाने हैं जिसने वह सम्पूरक लाईसेंस जारी किया हो जिसके मद्दे आटोमैटिक लाईसेंस के लिए आवेदन किया गया गया है अर्थात मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए सम्पूरक लाईसेंस के मामले में, आटोमैटिक लाईसेंस के लिए आवेदन पत्र भी मुख्यालय (एस एल अनुभाग) को दिये जाने है और अन्य मामलों में आवेदन उस सम्बन्धित क्षेत्रीय लाईसेंसिंग प्राधिकारी से किया जाए जो सम्पूरक लाईसेंस जारी करेगा। तथापि, यदि खुले सामान्य लाईसेंस के अन्तर्गत आयातों के मद्दे आटोमैटिक लाईसेंस का दावा किया गया हो और मौजूदा आयात नीति की सीमित अनुमेय सूची में उल्लिखित मदों के सम्बन्ध में आपूर्ति सरणीबद्ध अभिकरणों से प्राप्त की गयी हो तो आटोमैटिक लाईसेंस के लिए आवेदन उस संबंधित लाईसेंसिंग प्राधिकारी को भेजने हैं जिसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आवेदक की फैक्ट्री स्थित है। (2) इस पुस्तक के परिशिष्ट 5क में दिए गए प्रपत्र में आटोमैटिक लाईसेंस के लिए आवेदन के साथ सम्बन्धित प्रायोजक प्राधिकारी को सम्पूरक लाईसेंस की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र की एक प्रति और सम्पूरक लाईसेंस के लिए आवेदन फीस की अदायगी के सम्बन्ध में मूल बैंक रसीद डिमान्ड ड्राफ्ट और मूल सम्पूरक लाईसेंस (सीमाशुल्क प्रति) जिस पर आटोमैटिक लाईसेंस का दावा किया गया है, प्रस्तुत किए जाने चाहिए। (3) जहां खुले सामान्य लाईसेंस के अन्तर्गत किए गए आयातों के मद्दे आटोमैटिक लाईसेंस के लिए आवेदन किया गया हो, वास्तविक उपयोक्ता को आटोमैटिक लाईसेंस के आवेदन के साथ सनदी लेखाकार लागत लेखाकार कम्पनी सचिव से एक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें ऐसी मदें जिन्हें चालू आयात नीति में सीमित अनुमेय सूची में सम्मिलित कर दिया गया है, के सम्बन्ध में पिछले लाईसेंसिंग वर्ष के दौरान खुले सामान्य लाईसेंस के अन्तर्गत किए गए आयातों के लागत बीमा भाड़ा मूल्य और मात्रा

को अनुप्रमाणित किया गया हो। मूल प्रविष्टि बिलों को को भी उपर्युक्त मदों के सम्बन्ध में पिछले लाईसेंसिंग वर्ष के दौरान खुले सामान्य लाईसेंस के अन्तर्गत किए गए आयातों के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(4) इसी प्रकार से यदि आटोमैटिक लाईसेंस के लिए सरणीबद्ध अभिकरण से प्राप्त सरणीबद्ध मदों की आपूर्ति के मद्दे आवेदन किया गया हो तो वास्तविक उपयोक्ता को आटोमैटिक लाईसेंस के लिए आवेदन के साथ सारणीबद्ध अभिकरण से एक प्रमाण पत्र भी पिछले लाईसेंसिंग वर्ष के दौरान वास्तविक उपयोक्ता को संभरित सरणीबद्ध मदों केवल आयातित सामग्री के लागत बीमा भाड़ा मूल्य और मात्रा को प्रमाणित करते हुए प्रस्तुत करना चाहिए। यह उन सरणीबद्ध मदों के लिए लागू होगा जिन्हें चालू आयात नीति में सीमित अनुमेय सूची में रख दिया गया ।

(5) यदि वास्तविक उपयोग ऐसा चाहे तो वे पिछले लाईसेंसिंग वर्ष में प्राप्त किए सम्पूरक लाईसेंस(सों) खुले सामान्य लाईसेंस के अन्तर्गत किए गए आयातों और सारणीबद्ध अभिकरणों से प्राप्त आयातित सामग्री की आपूर्ति के मद्दे अनुमेय आटोमैटिक लाईसेंस की स्वीकृति हेतु समेकित आवेदन भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

(6) सम्बन्धित लाईसेंसिंग प्राधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार में आवेदक की फैक्ट्री स्थित है ऐसे लाईसेंसों के लिए अनुमेय मूल्य को ध्यान में रखे बिना आटोमैटिक लाईसेंस जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकार होंगे।

(7) सम्बद्ध लाईसेंसिंग प्राधिकारी नया आटोमैटिक लाईसेंस जारी करेगा और पूर्ववर्ती वर्ष के सम्पूरक लाईसेंस पर इस आशय का पृष्ठांकन करेंगे कि "आटोमैटिक लाईसेंस सं. तारीख ——————— मूल्य——————रु.—— जारी कर दिया गया है"।

(8) आटोमैटिक लाईसेंस के मूल्य और उसमें आयात के के लिए अनुमेय विभिन्न मदों की मात्रा, सम्पूरक लाईसेंस की स्वीकृति के लिए प्रायोजक प्राधिकारी की सिफारिश पर सम्पूरक लाईसेंसिंग समिति के निर्णय के आधार पर बढ़ाई जाएगी।"

5. आयात निर्यात नीति और प्रक्रिया पुस्तक में उपर्युक्त संशोधन लोकहित में किए गये हैं।

तेजेन्द्र खन्ना, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 13-ITC (PN)/90-93

New Delhi the 18th May, 1990

Subject:- Import and Export Policy for April 1990--March 1993.

File No. IPC/3/5/85:—Attention is invited to the Import and Export Policy for April 1990-March 1993, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1-ITC (PN)/90-93 dated the 30th March, 1990 as amended.

2. The following amendments shall be made in the Policy at appropriate places indicated below:—

Sl. No.	Page No. of Import and Export Policy 1990-93 (Vol. I)	Reference	Amendments
1.	23	Chapter V Paragraph 65 Sub Para (2)	The figures and the word "12 months" appearing in second line shall be substituted by "18 months"
2.	24	Chapter V Paragraph 67	The existing paragraph 67 shall be substituted by the following:— "67(1) : Import of items appearing in the Restricted List (excepting raw materials and intermediates required by the chemicals, drugs and pharmaceuticals sectors, Colour TV Picture Tubes, and such other items as may be notified by the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, from time to time) as well as items in the Limited Permissible List including those shifted from Open General Licence and canalised list to the Limited Permissible List in the current Import Policy, can be made under Automatic Licensing Scheme. (2) The value and quantity of the Automatic Licence shall not exceed 50 per cent of the c.i.f. value and quantity of (i) the Supplementary licence(s) obtained for the previous licensing year, (ii) imports actually made under Open General Licence and (iii) canalised items (imported material) supplied by the canalising agency, during the previous licensing year, in respect of the items which have been shifted to the Limited Permissible List in the current Import Policy. The Automatic Licence so granted will have quantity limits indicated against each item and import of such items can be made within the overall value of Automatic licence. In the case of units subject to the Phased Manufacturing Programme of indigenisation, Actual User would furnish a declaration to the effect that import of items against Automatic licence shall be in accordance with the approved Phased Manufacturing Programme. (3) The Automatic licensing facility is not applicable in the case of items covered by the Supplementary licence for the previous licensing year, but shifted to the Open General Licence list under the current Import Policy, and the value/quantity of such items shall be excluded while determining the value and quantity of the Automatic licence in terms of sub-paragraph (2) above. The Automatic licence facility is also not applicable to the licences issued for import of Restricted Spares and Spares for after sales service and warranty coverage. Procedural details for grant of Automatic Licences are given in Chapter V of the Hand Book of Procedures, 1990-93(Volume-I)."

3. Attention is also invited to the Hand Book of Procedures for April 1990-March 1993, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 2-ITC (PN)/90-93 dated the 30th March, 1990, as amended.

4. The following amendments shall be made in the Hand Book of Procedures at appropriate places indicated below:—

Sl. No.	Page No. of Hand Book of Procedures, 1990-93 (Volume-I).	Reference	Amendment
1	2	3	4
1.	39-40	Chapter V Paragraph 224	The existing Paragraph 224 shall be substituted by the following :— "224(1) Application for grant of Automatic Licence, in accordance with the provisions of Paragraph 67 of the Import and Export Policy, 1990-93 (Volume-I), is to be made to the licensing authority concerned who issued Supplementary licence against which the Automatic licence is applied for, i.e., in the case of Supplementary licence issued by the Headquarters Office of CCI&E, New Delhi, the application for Automatic licences is to be made to the Headquarters. Office, (S.L. Section) and in other cases the application is to be made to the concerned Regional Licensing Authority who issued the Supplementary Licence. However, where the Automatic Licence is being claimed against the imports made under Open General Licence and supplies obtained from the canalising agencies, in respect of the items appearing in the Limited Permissible List in the current Import Policy, the application for Automatic Licence is to be made to the concerned Licensing Authority under whose jurisdiction the factory of the applicant is located. (2) The application for Automatic Licence, in the proforma given at Appendix V-A, of this Book, should be accompanied by a copy of the application for grant of Supplementary Licence submitted to the concerned sponsoring authority, alongwith original Bank Receipt/Demand Draft towards payment of application fee for the Supplementary Licence and the Original Supplementary Licence (Customs Copy) against which the Automatic Licence is being claimed. (3) Where the Automatic Licence is applied for against the imports made under Open General Licence, the Actual User should also submit alongwith Automatic Licence application, a certificate from the Chartered Accountant/Cost Accountant/ Company Secretary certifiying the c.i.f. value and quantity of imports made under Open General Licence during the previous licensing year, in respect of such items which have been shifted to the Limited Permissible List in the current Import Policy. Original Bills of entry should also be furnished as evidence of imports made under Open General Licence during the previous licensing year in respect of the above items. (4) Similarly where the Automatic Licence is applied for against the supplies of canalised items obtained from the canalising agency, the Actual User should submit alongwith the Automatic Licence application, a certificate from the canalising agency certifying the c.i.f. value and quantity of the canalised items (imported material only) supplied to the Actual User during the previous licensing year. This would apply to the canalised items which have been shifted to the Limited Permissible List in the current Import Policy.

1	2	3	4
			(5) If the Actual Users so desire they can submit consolidated application for grant of Automatic Licence admissible against the Supplimentary Licence(s) obtained for the previous licensing year, imports made under Open General Licence and supplies of imported material obtained from the canalising agency.
			(6) The concerned licensing authority under whose jurisdiction the factory of the applicant is located, would be competent to issue Automatic Licence irrespective of the value admissible for such licences.
			(7) The licensing authority concerned will issue the fresh Automatic Licence and make an endorsement on the Supplementary licence for the previous year to the effect that Automatic Licence No.................. dated........................for a value of Rs. .... has been issued'.
			(8) The value of Automatic licence as well as quantities of various items permitted for import therein will be enhanced on the basis of the decision of the Supplementary Licensing Committee on the recommendation of the sponsoring authority for grant of Supplementary Licence."

5. The above amendments in the Import and Export Policy and the Hand Book of Procedures have been made in public interest.

TEJENDRA KHANNA, Chief Controller of Imports and Exports

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990